

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
CENTRAL GOODS & SERVICE TAX COMMISSIONERATE, JAIPUR
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

फा.स. II-31(05)CCU/JZ/2022 /1157

दिनांक : 11.11.2022


कार्यालय आदेश

Considering the requests of the following candidates for change in their date of PET/PST for the Post of Havaldar, the date and time of PET/PST for these candidates has been re-scheduled as under:

Old Sl. No.	Roll No	Name of Candidate	Existing Date of PET/PST	New Date of PET/PST	Time of reporting for PET/PST	Venue/Centre Details of PET/PST
138	2405064295	ANIL KUMAR MEENA	15-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
158	2405116499	KAMLESH KUMAR MEENA	15-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
389	2405117877	PRAKASH MEENA	15-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
1183	2405098509	SURESH KUMAR MEENA	18-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
1290	2405072018	RAHUL SAHU	18-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
1359	2405139695	NARENDRA KUMAR	19-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur
1705	2404013264	SHAHROUKH KHAN	21-11-2022	24-11-2022	1:00 PM	SMS Stadium Jaipur

सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिशा - निर्देशों को आवश्यक रूप से पालन करना होगा -

1. सभी अभ्यर्थियों को PET/PST के लिए पहचान हेतु अपना मूल फोटो पहचान पत्र मय प्रतिलिपि जो स्वयं के द्वारा सत्यापित हो एवं एसएससी द्वारा जारी एडमिट कार्ड की मूल प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लेकर आना होगा।
2. जो अभ्यर्थी PET/PST के निर्धारित मानकों में शिथिलता / छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए संबंधित जाति प्रमाण पत्र (मूल) अथवा स्थाई विकलांगता से सम्बंधित दस्तावेज (मूल) PET/PST के समय मय फोटोप्रति के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
3. सभी अभ्यर्थी उनके समक्ष दर्शाए गए निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व रिपोर्ट करना अनिवार्य है। स्टेडियम के अन्दर केवल अभ्यर्थी को ही जाने की अनुमति होगी, किसी भी परिजन का स्टेडियम में प्रवेश निषेध है।
4. निर्धारित समय से देरी से पहुंचने पर अभ्यर्थियों को PET/PST परीक्षण से वंचित किया जा सकता है।
5. सभी अभ्यर्थियों को स्टेडियम परिसर में पूर्ण अनुशासन का पालन करना होगा अन्यथा उन्हें disqualify / debar किया जा सकता है।
6. सभी अभ्यर्थियों को स्टेडियम परिसर में केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना अनिवार्य होगा।
7. किसी भी प्रकार के विवाद /शिकायत/ अनियमितता के लिए वहां उपस्थित **Dispute Resolution Team** के अधिकारियों से संपर्क करें।


11.11.22

(सुमीत कुमार यादव)
अपर आयुक्त (सीसीयू)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त आयुक्त (CCO), CGST & CE Jaipur Zone, Jaipur
2. The Additional Director (HRM-II), DGHRD, New Delhi.
3. The Regional Director, SSC(NR), CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi,